मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 01–11–2019 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1– श्री शैलेश बगौली, सचिव एवं आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
2– श्री पंकज कुमार पाण्डेय, सचिव(प्रभारी) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3– श्री रविनाथ रामन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– श्री हरिचन्द्र सेमवाल, अपर सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
5– श्री रवनीत चीमा, अपर सचिव, शिक्षा विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
6– श्री सुभाष चन्द्र अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– श्री पी0सी0 खरे, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– श्री अजय रौतेला, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल।
9– श्री नारायण सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, देहरादून।
10– श्री रंजीत सिंह, उप सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11– श्री आर0 के0 कुंवर, निदेशक, शिक्षा विभाग।
12– श्रीमती सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
13– श्री सनत कुमार सिंह, उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
14– श्री सुधांशु गर्ग, उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
15– श्री राजेन्द्र प्रसाद डोभाल,अनुभाग अधिकारी, परिवहन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
16– श्रीमती रश्मि पंत,सहा0सं0परि0अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
17– श्री नरेश संगल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
18– श्री पी0एस0 गर्ब्याल, अपर आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
19– श्री राजेश चन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, एन0एच0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
20– श्री आर0 के0 कलवार, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
21– श्री सतवीर सिंह, सदस्य लीड एजेन्सी, लोक निर्माण विभाग।
22– श्री पी0 के0 कटियार, मैनेजर, टैक्निकल, एन0एच0ए0आई0, सम्भागीय कार्यालय।
23– श्री एस0 के0 वर्मा, मैनेजर टैक्निकल, एन0एच0ए0आई0, पी0आई0यू0 देहरादून।
24– श्री शैलेन्द्र सिंह डांगी, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
25– श्री निखिलेश नौटियाल, एन0एच0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।
26– श्री बी0 पी0 पाठक, पी0डी0 एन0एच0ए0आई0।
27– श्री जी0एस0 राना एस0ई0 बी0आर0ओ0।
28– डॉ0 प्रवीन कुमार, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
29– डॉ0 अजीत मोहन जौहरी, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
30– श्री सुरजीत कुमार, सी0ओ0, सितारगंज, उधमसिंह नगर।
31– श्री प्रबोध कुमार घिल्डियाल, सदस्य लीड एजेंसी, पुलिस।
32– श्री मुकेश पवांर, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
33– श्री एस0सी0 भट्ट, संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग।
34– श्रीमती मधुबाला रावत, उपनिदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, शिक्षा विभाग।
35– श्री राजीव पाण्डेय, सहायक निदेशक, शहरी विभाग।
36– श्री विकास, तकनीकी सहायक, शहरी विकास विभाग।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारियों का परिचय प्राप्त करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। सचिव, परिवहन द्वारा मा0 परिवहन मंत्री जी के समक्ष उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2019 में माह सितम्बर तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2019 में 2018 की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में 5.19 प्रतिशत मृतकों की संख्या में 16.73 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या 4.68 प्रतिशत की कमी आयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस वर्ष मुख्य रूप से जनपद पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली एवं रूद्रप्रयाग में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुयी है जबकि मैदानी क्षेत्रों में जनपद हरिद्वार में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आयी है।

2– राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 10–09–2018 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की विभागवार स्थिति का प्रस्तुतीकरण परिषद के समक्ष किया गया। इसके साथ ही मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के पत्र दिनांक 26–09–2018, 20–12–2018 तथा 07–05–2018 द्वारा दिये गये निर्देशों से भी मा0 परिषद को अवगत कराया गया।

3– लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के चिन्हित 139 ब्लैक स्पॉट में से अभी तक 37 ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 102 अवशेष ब्लैक स्पॉट में से 89 पर लघुकालिन सुधार कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। एनएचएआई द्वारा अवगत कराया गया कि एनएचएआई की सड़को पर अवशेष 47 ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण वर्ष 2020 तक कर लिया जायेगा।

4– ब्लैक स्पॉट से इतर दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अद्यतन चिन्हनित 1500 स्थलों में से 107 में सुधार की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, 450 स्थलों पर कार्य स्वीकृत किये जा चुके है तथा 90 स्थलों पर सुधार का कार्य गतिमान है।

5– राज्य की सड़कों पर ट्रैफिक कामिंग मैजर्स लगाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में चिन्हित 1564 जंक्शन में से 556 पर ट्रैफिक कामिंग सम्बन्धित कार्य

पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष 1008 स्थलों पर फंड उपलब्ध होने पर वर्ष 2020 तक सुधारीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

6– लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य की कुल 12,247.80 किलोमीटर सड़को में से 3333.985 किमी सड़को पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से रोड मार्किंग किये जाने की आवश्यकता है जिसके सापेक्ष 1493.05 किमी पर रोड मार्किंग की जा चुकी है तथा अवशेष सड़को पर बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

7– लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कुल 1274 अभियन्ताओं के सापेक्ष फरवरी 2019 तक 182 अभियन्ताओं को रोड सेफ्टी ऑडिट सम्बन्धित ट्रेनिंग उपलब्ध करा दी गयी है शेष 1092 अभियन्ताओं को वर्ष 2020 तक प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

8– पैदल यात्रियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोड सेफ्टी ऐक्शन प्लान के अनुसार ऐसे स्थल जहॉ पर पैदल यात्रियों हेतु सुविधाओं जैसे फुट ओवर ब्रिज, फुटपाथ, अण्डर पास एवं पैदन यात्री कोसिंग आदि का निर्माण किया जाना है, के चिन्हांकन के लिये फण्ड की उपलब्धता के आधार पर रोड सेफ्टी कन्सल्टेन्ट नियुक्त किये जायेंगे। एनएचएआई द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित संस्था द्वारा सड़क निर्माण के साथ ही पैदल यात्रियों हेतु आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।

9– पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि गढ़वाल मण्डल की विभिन्न निर्माणाधीन सड़को पर बड़ी संख्या में वाहनों के ऊपर बोल्डर गिरने से दुर्घटनायें हो रही है, जिनमें अत्यधिक जनहानि हो रही है। सड़क निर्माणकर्ता संस्थाओं को यह सुझाव दिया गया कि जिन स्थलों पर चट्टानों की कटिंग हेतु हाइड्रोलिक मशीन का प्रयोग किया जा रहा है वहां पर कटाव आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित स्थल तथा उसके समीपवृर्ती 100 से 200 मीटर के क्षेत्र का सुरक्षा की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाय एवं तद्नुसार सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुये कटिंग की कार्यवाही की जाय।

10– जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों के सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान वर्ष में, माह सितम्बर तक विभिन्न जनपदों द्वारा सड़क सुरक्षा समिति की कुल 47 बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

11– परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में वसूल किये गये 49.44 करोड़ रूपये प्रशमन शुल्क के सापेक्ष सड़क सुरक्षा कोष हेतु रूपये 5.00 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो कि फण्ड हेतु निर्धारित राशि (कुल प्रशमन शुल्क का 25 प्रतिशत) से कम है।

12– आटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि राज्य में वर्तमान में 05 स्थलों (देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश एवं टिहरी) में भूमि परिवहन विभाग के नाम हस्तान्तरित की जा चुकी है। जनपद देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी के सहयोग से आटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था की गयी है तथा जनपद हरिद्वार में आटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण हेतु स्वीकृत 75.98 लाख की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपये 30.39 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन एवं विकास निगम को आवंटित कर दी गयी है।

13– हल्द्वानी में वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम द्वारा प्रेषित रूपये 23.67 करोड़ के आगणन को सी0आई0आर0टी0 पूणे एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

14– परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अध्यतन 07 जनपदों (उधमसिंह नगर, नैनीताल, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चम्पावत, टिहरी) में भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है, जिसमें से टिहरी एवं उत्तरकाशी में भूमि परिवहन विभाग को आवंटित कर दी गयी है, तथा जनपद हरिद्वार में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में उपलब्ध भूमि पर ट्रैफिक पार्क बनाने हेतु होण्डा मोटरसाईकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड से वार्ता गतिमान है।

15— स्पीड गवर्नर के विषय में परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सितम्बर, 2019 तक राज्य में सम्बन्धित श्रेणी में अपेक्षित लगभग 1.20 लाख वाहनों में से 83813 वाहनों पर स्पीड गवर्नर लगाये जा चुके हैं।

16— परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि, मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा चिन्हित 06 अभियोगों में ,वर्ष 2019 में माह सितम्बर तक पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा कुल 70,193 चालान किये गये है तथा 31,458 ड्राइविंग लाईसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। इसी प्रकार सितम्बर, 2019 तक पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा दोपहिया वाहनों में हेल्मेट न पहनने तथा बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने के अभियोग में 4,97,006 चालान किये गये है तथा 4,94,086 चालको की काउन्सलिंग की गयी है।

17— पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि एन0एच0 एवं एस0एच0 पर वाहनों की ओवरस्पीडिंग से होने दुर्घटनाओं एवं जनहानि को रोकने के लिये, राज्य में उपलब्ध जनशक्ति एवं संसाधनों से यातायात पुलिस के अतिरिक्त राजमार्गों पर प्रवर्तन/मोबाईल यूनिट हेतु सीटी पैट्रोल, हील पैट्रोल एवं हाईवे पैट्रोल का गठन किया गया है। जिसमें वर्तमान में 02 निरीक्षक, 112 उपनिरीक्षक एवं 258 हेड कान्सटेबल नियुक्त किये गये है।

18— चिकित्सा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य के 11 जनपदों में 15 ट्रामा सेन्टर कार्यशील है तथा पिथौरागढ़ एवं रूद्रप्रयाग में ट्रामा सेन्टर के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में आई0पी0एच0सी0 के मानकों के अनुसार चिकित्सालयों के एकीकरण की प्रकिया गतिमान है। इस प्रकिया के पूर्ण होने के उपरान्त समस्त ट्रामा सेन्टरों एवं चिकित्सालयों में मानकों के अनुसार चिकित्सकों एवं अन्य सहायक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित हो जायेगी।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये:–

1— राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2020 तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कमी लाये जाने का प्रयास किया जाय तथा इस हेतु सभी हित धारक विभागों का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। इस हेतु मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– राज्य में सड़कों के रख–रखाव हेतु किये जा रहे सुधार कार्यों की न्यून प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये सभी सड़क निर्माता संस्थाओं (लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, बीआरओ.) को निर्देशित किया गया कि सड़कों के रख–रखाव से सम्बन्धित कार्यो को दीर्घकालीन एवं लघुकालीन में विभाजित कर पूर्ण किया जाय। मा0 परिषद की आगामी बैठक में सभी संस्थाओं के कार्यों में प्रगति लक्षित होनी चाहिए

3– ब्लैक स्पाट के सुधार की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि इन स्थलों पर प्राथमिकता के आधार सड़क सुरक्षा आडिट एवं सुधार कार्य किये जायें।

4– राज्य में चिन्हित 1500 दुर्घटना सम्भावित स्थलों में से अद्यतन केवल 107 स्थलों पर सुधार कार्य किये गये है तथा जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा, चम्पावत में एक भी स्थल पर सुधार कार्य नहीं किया गया है जो कि संतोषजनक नहीं है। उक्त चिन्हित स्थलों में जनपद पिथौरागढ़ एवं नैनीताल की सूचना सम्मलित नहीं है, इस हेतु सम्बन्धित उप सम्भागों के सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल इन जनपदों की सूचना उपलब्ध करायी जाय। इसके साथ ही सुधार किये गये स्थलों की सूची निरीक्षण हेतु लीड एजेंसी को भी उपलब्ध करायी जाय।

5– राज्य की सड़कों पर चिन्हित 1564 जंक्शन स्थलों में से केवल 556 पर ट्रैफिक कामिंग मेजर्स लगाये गये हैं। इस हेतु निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाय तथा सी0एस0आर0 गतिविधि के अन्तर्गत इस कार्य को क़राने के लिये सड़क निर्माता संस्थाओं द्वारा विभिन्न संस्थानों से संपर्क किया जाय।

6– विभिन्न जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित लंबित मजिस्ट्रियल जांच आख्याओं के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों की जनपदवार सूची सम्बन्धित मंडलायुक्त कार्यालयों को उपलब्ध करायी जाय जिससे कि लंबित प्रकरण समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जा सकें।

7– जनपद हरिद्वार एवं हल्द्वानी में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन के निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव की शीघ्रता से स्वीकृति के लिये भारत सरकार से समन्वय स्थापित किया जाय। इसके साथ ही हल्द्वानी में प्रस्तावित चालक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण में भी तेजी लायी जाय।

8– सड़क निर्माता संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से खोले गये मीडियन्स को चिन्हित करते हुये उनको बन्द किया जाय तथा आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य हेतु पुलिस/प्रशासन का सहयोग भी लिया जाय।

9– लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा ऑडिट प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2019 में चिन्हनित 505 अभियन्ताओं का प्रशिक्षण शेष दो माह में पूर्ण करवा लिया जाय।

10– आबादी के निकटवर्ती सड़कों पर पैदल यात्रियों हेतु सुविधाओं यथा फुटपाथ/फुटओवर ब्रिज/ अंडर पास/टेबल टॉप के निर्माण के लिये इन सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाय तथा इन सुविधाओं की स्थलवार सूची निर्मित करते हुए वार्षिक आधार पर समयबद्ध रूप से इनका निर्माण कराया जाय।

11– राज्य के सभी जनपदों में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ट्रैफिक अवैरनेस सेंटर विकसित किये जाने के लिये भूमि आवंटित करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाय तथा जिन स्थानों पर व्यापार कर की चैक पोस्ट में भूमि उपलब्ध है उनकों परिवहन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाय।

12– सड़क सुरक्षा कोष हेतु निर्धारित मानकों से कम धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि इस हेतु सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के साथ बैठक कर पूर्ण धनराशि आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया जाय एवं इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त धनराशि की मांग को आगामी अनुपूरक बजट में सम्मलित किया जाय।

13– राज्य में दिनांक 26–09–2019 को निर्गत शासनादेश के अनुसार जिन सम्बन्धित विभागों से लीड एजेंसी हेतु अधिकारियों को चयनित/नामित किया जाना है वे विभाग, तत्काल सक्षम अधिकारियों के प्रस्ताव परिवहन विभाग को उपलब्ध करायें जिससे कि लीड एजेंसी के गठन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

14– राज्य में दुपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं से हो रही जनहॉनि को रोकने के लिये हैलमेट ना पहनने वाले दुपहिया वाहन चालको/सवारी के विरूद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान

संचालित किये जाय। नियम विरूद्ध संचालित विद्यालयी वाहनों तथा नाबालिक चालकों द्वारा संचालित वाहनों पर भी कठोर प्रवर्तन कार्यवाही की जाय।

15– चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया कि राज्य में उपलब्ध समस्त एम्बुलेन्स वाहनों को हेल्पलाईन नं0–108 एवं 112 से जोड़े जाने की कार्यवाही की जाय।

16– जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में निर्धारित संख्या में बैठकें नहीं हुयी है उनके जिलाधिकारियों को अवशेष बैठकें शीघ्र कराने के लिये निर्देशित किया जाय।

17– राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा गठित समिति के निर्देशों के अनुसार आयोजित करवाई जाय तथा वर्ष 2019 की दूसरी बैठक दिसम्बर माह में आयोजित की जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 परिवहन मंत्री जी द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु सभी संभव उपाय करने, अति आवश्यक कार्य हेतु बजट की व्यवस्था करने और सड़क सुरक्षा समिति (Supreme Court Committee on Road Safety) के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन करते हुए आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1,
संख्या–556/ix–1/2019
देहरादून, दिनांक 27, दिसम्बर, 2019

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग/आबकारी विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग /वित्त विभाग।
4– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
5– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6– आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

7– आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– महानिदेशक, शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
10– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।
11– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
12– निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
13– रीजनल ऑफिसर, एनएचएआई, उत्तराखण्ड रीजन।
14– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(शैलेश बगौली)
सचिव।